



इंडियन वैक्सीनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

निदेशक मंडल

श्री संजय कुमार मिश्रा	17.09.2021
श्री पंकज कुमार	28.10.2021
श्रीमती अलका शर्मा	23.12.2020
श्री श्रीवल्लभ गोयल	30.07.2009
श्री सुधीर कुमार जैन	31.12.2014
श्री रोशन लाल	28.10.2021 से पुनर्निवेश किया गया
श्री चंद्र प्रकाश गोयल	17.09.2021 से संबंधित हैं

बैंकों

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

लेखा परीक्षकों

मेसर्स शिव सरोज एंड एसोसिएट्स
414, अरुणाचल बिल्डिंग,
19, बाराखंभा रोड,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

पंजीकृत कार्यालय

गाँव नैनवाल,
दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (एनएच-8),
पी.ओ. मानेसर जिले गुरुग्राम (हरियाणा) -122050

प्रधान कार्यालय

ब्लॉक नंबर -3, कमरा नंबर 526,
5मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
दूरभाष.:24361208



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

वार्षिक आम बैठक की सूचना

नोटिस दिया जाता है कि भारतीय वैक्सीन कॉरपोरेशन के सदस्यों की तैंतीस वार्षिक आम बैठक शुक्रवार को 30 सितंबर 2022 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी ताकि निम्नलिखित व्यवसाय किया जा सके:

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2022 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट प्राप्त करने, उस पर विचार करने और अपनाने के लिए, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उस पर सभी नोट्स और निदेशकों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक / शुल्क का निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना

इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड
के बोर्ड के आदेश से

(संजय कुमार मिश्रा)
निदेशक (आईवीसीओएल)
पता: डी में, 354, विनय मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021

स्थान: दिल्ली

दिनांकित:



इंडियन वैकसीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

टिप्पणीया:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य खुद के बजाय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और इस तरह के प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को कंपनी के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय में बैठक से पहले 48 घंटे पहले दायर किया जाना चाहिए। यदि मतदान अधिकार रखने वाली कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक रखने वाले सदस्य द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने का प्रस्ताव है, तो ऐसा प्रॉक्सी किसी अन्य सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
2. बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नोटिस में विशेष कार्य से संबंधित यहां संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।
4. बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 24 घंटे पहले शुरू होने और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, एक सदस्य कंपनी के व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी समय दर्ज प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा, बशर्ते कि कंपनी को लिखित रूप में कम से कम तीन दिन का नोटिस दिया गया हो।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखे गए निदेशकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर और अनुबंधों का रजिस्टर या व्यवस्था जिसमें निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रुचि रखते हैं और नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित सभी दस्तावेज, सदस्यों द्वारा सभी कार्य दिवसों में व्यावसायिक घंटों के दौरान सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे वार्षिक आम बैठक का समापन तक
6. एक उपस्थिति पर्ची और एक प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न हैं।
7. वार्षिक आम बैठक के स्थल पर पहुँचने के लिए एक मार्ग मानचित्र सहित आसानी से पता लगाने के लिए पहचान के चिन्ह का विवरण संलग्न है।



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

उपस्थिति पत्रों

(प्रवेश द्वार पर प्रस्तुत किया जाना है)

33^{वाँ} वार्षिक आम बैठक पर बजे..... इंडियन
वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू 74900 एचआर 1989 जीओआई030516, टी: 011-24361208

फोलियो No. _____

सदस्य का नाम : _____ हस्ताक्षर _____

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम (निकाय निगम)

_____ हस्ताक्षर _____

प्रॉक्सी धारक का नाम: _____ हस्ताक्षर _____

मैं वीडियो कांफ्रेंस द्वारा 33^{वीं} वार्षिक आम बैठक

.....में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड गांव नैनवाल, पीओ मानेसर, गुरुग्राम में
सीआईएन: यू 74900 एचआर 1989 जीओआई030516, टी: 011-24361208

फॉर्म नं. एमजीटी -11 प्रॉक्सी फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसार]

सीआईएन: यू 74900 एचआर 1989 जीओआई030516

कंपनी का नाम: इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ग्राम नैनवाल, पीओ मानेसर, गुरुग्राम

सदस्य (एस) का नाम:	
पंजीकृत पता:	
ई-मेल आईडी:	
फोलियो नंबर / क्लाइंट आईडी:	
डीपी आईडी:	

मैं / हम, उपरोक्त नामित कंपनी के सदस्य (ओं) जिनके पास उपरोक्त कंपनी के शेयर हैं इस पत्र के द्वारा नियुक्त करता हूं / करते हैं:

1.	
नाम:	
पता:	
ई-मेल आईडी:	
हस्ताक्षर:, या उसे असफल करना	

2.	
नाम:	
पता:	
ई-मेल आईडी:	
हस्ताक्षर, या उसे असफल करना	

3.	
नाम:	
पता:	
ई-मेल आईडी:	
हस्ताक्षर:....., या उसे असफल करना	

मैं / हमारे, परिपत्री के रूप में और (मतदान होने पर) कंपनी की ३३वीं वार्षिक आम बैठक / में, जो कि..... को वीडियो कांफ्रेंस द्वारा हुई है तथा निम्न प्रस्तावों पर या स्थगन उपरांत मेरा / हमारे, स्थान पर आएंगे और मेरी / हमारी और से निम्न प्रस्तावों पर मतदान करेंगे:



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

संकल्प नं.	वर्णन या समाधान	के लिए	विरुद्ध
सामान्य कार्यकलाप			
1	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए		
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक / शुल्क का निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।		

इस पर हस्ताक्षर किए का दिन 2022

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक (ओं) के हस्ताक्षर

राजस्व
टिकट

नोट: प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी के इस रूप को विधिवत पूरा किया जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले।



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ कंपनी के संचालन की अपनी 33^{वाँ} वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन

एस.एन. विवरण	31.03.2022	(हजारों में) ₹
		31.03.2021
1. संचालन से राजस्व	3,075	3,481
2. कर्मचारी लाभ	316	1,107
3. कर से पहले लाभ और असाधारण आइटम	1,265	1,102
4. असाधारण आइटम	(2841)	(1,083)
5. शुद्ध लाभ/(हानि)	(36986)	(371)

संचालन का सारांश

वर्ष के दौरान कंपनी में कोई वाणिज्यिक या उत्पादन गतिविधि नहीं थी।

शेयर कैपिटल

वर्तमान में कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपये है जिसे 10 रुपये के 5 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 18,78,93,820 रुपये है, जिसे 10 रुपये के 1,87,89,382 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

आरक्षित करने के लिए स्थानांतरण

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए जनरल रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

लाभांश

निदेशक 31 मार्च 2022, को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करते हैं क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष के अंत में घाटा जमा किया है।

सचिवीय मानक

कंपनी द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'आम बैठकों' से संबंधित लागू सचिवीय मानकों अर्थात् एसएस-1 और एसएस-2 का विधिवत अनुपालन किया गया है।



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

निदेशक मंडल

श्री संजय कुमार मिश्रा	निर्देशक	(17.09.2021 से प्रभावी)
डॉ. अलका शर्मा	निर्देशक	(23.12.2020 से प्रभावी)
श्री पंकज कुमार	निर्देशक	(28.10.2021 से प्रभावी)
श्री श्रीवल्लभ गोयल	निर्देशक	(30.07.2009 से प्रभावी)
श्री सुधीर कुमार जैन	निर्देशक	(31.12.2014 से प्रभावी)

बोर्ड की बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

वर्ष के दौरान, चार (4) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं जो 13 अप्रैल 2021, 23 अगस्त, 2021, 10 नवंबर, 2021, एवं 08 मार्च, 2022, को हुई हैं

निदेशकों के नाम	के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या उसका कार्यकाल	बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या
श्री चन्द्र प्रकाश गोयल	2	2
श्री रोशन लाल	2	1
डॉ. अलका शर्मा	4	4
श्री सुधीर जैन	4	4
श्रीवल्लभ गोयल	4	3
श्री संजय कुमार मिश्रा	2	2
श्री पंकज कुमार	2	2

निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के संविधान में परिवर्तन किए गए।

निदेशक मंडल ने 10 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्री चंद्र प्रकाश गोयल के स्थान पर 17 सितंबर, 2021 से श्री संजय कुमार मिश्रा को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल ने 08 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में श्री रोशन लाल के स्थान पर 28 अक्टूबर, 2021 से श्री पंकज कुमार को निदेशक नियुक्त किया है।

निदेशक की जिम्मेदारियां कथन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (सी) की आवश्यकता के अनुसार, आपके निदेशकों की पुष्टि करता है कि: -

(i) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पठित लागू लेखांकन मानकों का पालन सामग्री प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

- (ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2022 को कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नुकसान का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- (iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;
- (iv) निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक लेखा को एक चालू इकाई के आधार पर तैयार किया है
- (v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और
- (vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एन) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है, जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान शामिल है, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व, जोखिमों के मूल्यांकन, पहचान योग्य जोखिमों की निगरानी और न्यूनीकरण को खतरे में डाल सकती है।

होलडिंग कंपनी और सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां

भारत सरकार (जीओआई) के पास कंपनी में 66.67% शेयर हैं; इसलिए, कंपनी सरकारी कंपनी की श्रेणी में आती है।

कंपनी के पास कोई सहायक, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है। हालांकि, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एसोसिएट्स कंपनी बनी हुई है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्तियां

सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिश पर मैसर्स शिव सरोज एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स नई दिल्ली को वर्ष 2021-2022 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों ने 31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में किसी योग्यता, आरक्षण प्रतिकूल या डिस्क्लेमर का उल्लेख नहीं किया गया है।

इसके अलावा 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों के तहत आने वाले संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध, व्यवस्था की है, इसलिए एओसी -2 में प्रकटीकरण कंपनी पर लागू होता है और फॉर्म एओसी -2 संलग्न होता है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप सभी क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं।

लागत लेखा परीक्षा

कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में यथा निर्धारित लागत लेखा परीक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

दिए गए ऋण, किए गए निवेश, दी गई गारंटी और प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं।

जमा

कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई जमा राशि ली है और न ही बैलेंस शीट की समाप्ति तिथि को मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया है।

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और आउटगो का संरक्षण

(a) ऊर्जा का संरक्षण

(i)	ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	चूंकि आपकी कंपनी वर्तमान में कोई व्यवसाय नहीं कर रही है, इसलिए विवरण शून्य है
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	
(iii)	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	

(b) प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i)	प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास	चूंकि आपकी कंपनी फिलहाल कोई कारोबार नहीं कर रही है, इसलिए इसका ब्योरा शून्य है।
(ii)	उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद जैसे व्युत्पन्न लाभ विकास या आयात प्रतिस्थापन	



इंडियन वैकसीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

(iii)	आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गणना किए गए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)-	लागू नहीं है।
	(क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;	
	(ख) आयात का वर्ष क्या है;	
	(ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया है;	
	(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके क्या कारण हैं;	
(iv)	अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय	शून्य

(c) विदेशी मुद्रा आय और आउटगो

वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में कोई आय और व्यय नहीं होता है।

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के उपबंधों के अनुसार एमजीटी-9 के रूप में कंपनी की वार्षिक विवरणी का उद्धरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

आपकी कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत आवश्यक कर्मचारी पारिश्रमिक का विवरण कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित कंपनी पर लागू नहीं होता है।

नियामकों द्वारा सामग्री आदेश

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया था जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त और निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है।

प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य

निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

अभिस्वीकृति

आपके निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी सदस्यों से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना व्यक्त करना चाहेंगे।

आपके निदेशक भी कंपनी के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए उनकी गहरी सराहना की भावना को रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं।

इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

डॉ. सजय मिश्रा
(निदेशक)
से: 09327229
पता: डी आई आई, 354, विनय मार्ग
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021

सुधीर कुमार जैन
(निदेशक)
से: 05205213
पता: चौथी मंजिल, हाउस नंबर 47
डीडीए साइट- 1, शंकर रोड
न्यू राजिंदर नगर
नई दिल्ली 110060

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

प्रपत्र सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे प्रावधान के तहत कुछ हाथ के लेन-देन शामिल हैं

1 अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्योरा एक-दूसरे से कम दूरी के आधार पर नहीं: NIL

2 सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत आधार पर विवरण:

क्रमांक	संबंधित पार्टी के नाम (नाम)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों की अवधि / व्यवस्था/ लेन-देन	मूल्य सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(तिथियां), यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
(अ)	(ख)	(ग)	(द)	(ड)	(च)	(छ)
1	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबी आरसी)	पट्टा सेवाएँ	अप्रैल 2021-मार्च 2022	इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के बीच हुए लीज समझौते की शर्तों के अनुसार।	-	-

उपर्युक्त लेन-देन निगम द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय में किया गया था। भौतिकता सीमा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के तहत निर्धारित की गई है।

निदेशक मंडल की ओर से

संजय कुमार मिश्रा
सभापति



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

फॉर्म नं.एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

अनुलग्नक-1

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार 31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष तक]

पंजीकरण और अन्य विवरण:

1	सीआईएन	U74900HR1989GOI030516
2	रजिस्ट्रेशन की तारीख	27/03/1989
3.	कंपनी का नाम	इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	गांव-नैनवाल, पीओ-मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा फोन नंबर: 011-24361208
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी	नहीं
7	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	मेसर्स के फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नंबर- 31 और 32, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगरेड्डी, तेलंगाना, भारत, 500032 संपर्क संख्या 040-67161700

II कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा

एस.न.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % कंपनी के
1	जमीन किराए पर देना	68100	100%

III होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

एस.न.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ पता	होल्डिंग/सब्सिडियरी/ एसोसिएट	धारित शेयरों का %	लागू अनुभाग
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

- 4) सर्वोच्च दस शेयर धारियों का प्रतिरूप (निदेशको, प्रवर्तकों और जी.डी.आर. तथा फ.डी.आर. धारको को छोड़कर) – शून्य
 - 5) निदेशको एवं महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय वर्ग की शेयर धारिता - शून्य
 - 6) ऋणग्रस्ता – शून्य
 - 7) निदेशको एवं महत्वपूर्ण प्रबंधकीय वर्ग का पारिश्रमिक – शून्य
- क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक को परिलब्धि
ख. अन्य निदेशकों को परिलब्धि
ग. कंपनी सचिव का 2021-22 का पारिश्रमिक 3,00,000/- है

इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

डॉ. संजय मिश्रा
(निदेशक)
से: 09327229
पता: डी आई आई, 354, विनय मार्ग
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021

सुधीर कुमार जैन
(निदेशक)
से: 05205213
पता: चौथी मंजिल, हाउस नंबर 47
डीडीए साइट- 1, शंकर रोड
न्यू राजिंदर नगर
नई दिल्ली 110060

दिनांक:
स्थान: नई दिल्ली



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

हमने भारतीय वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के साथ वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा यथा संशोधित ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, 31 मार्च, 2022 को कंपनी की स्थिति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और नकदी प्रवाह सहित।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उन पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए कोई प्रमुख ऑडिट मामला नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में वाषक रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक भौतिक गलत बयान है, तो हमें उस तथ्य की



इंडियन वैकसीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस बारे में हमें कुछ नहीं बताना है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, नकदी प्रवाह और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान बनाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चल रही चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि लागू हो, चिंता करने और लेखांकन के जाने वाले चिंता के आधार का उपयोग करने से संबंधित मामलों का खुलासा करना जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर न्याय का अभ्यास करते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और प्राप्त करें ऑडिट साक्ष्य जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न सामग्री गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (आई) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या



इंडियन वैकसीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चल रही चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है।

या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चिंता का विषय के रूप में जारी रखने के लिए बंद हो सकती है

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के आरोप में उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जिन्हें यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचा जा सकता है, और उनके साथ संवाद करने के लिए सभी रिश्तों और अन्य मामलों को यथोचित रूप से स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के आरोपियों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से उचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों में अनुलग्नक "क" पर संलग्न हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (a) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त की है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
 - (b) हमारी राय में कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है;
 - (c) बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण खाता बहियों के साथ समझौते में हैं;
 - (d) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है;
 - (e) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए 31 मार्च 2022 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च 2022 तक किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है;
 - (f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में इस



इंडियन वैकसीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

रिपोर्ट के अनुलग्नक "बी" में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट का उल्लेख करें।

- (g) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो इसके वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालती है;
 - कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जो 31 मार्च 2022 तक बकाया था।
 - ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने की आवश्यकता हो।
 - प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या किसी भी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के धन से) कोई भी धन उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा।
 - प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या कोई गारंटी प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से सुरक्षा या इसी तरह; और
 - उन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपखंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई भौतिक गलतबयानी है।
2. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है।

शिव सरोज एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट

प्रकाश

हिस्सेदार

एम.सं.: 515914

एफआरएन: 019715 एन

यूडीआईएन :

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:



इंडियन वैक्सीनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

[31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर भारतीय वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि की हमारी रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित]

ऐसी जाँचों के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

(i) इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:-

- (a) (ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है
- (ख) कंपनी ने अमूर्त आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखे हैं।
- (b) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है, लेकिन सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई सामग्री विसंगतियां नहीं देखी गई।
- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों में, हम रिपोर्ट करते हैं कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल अचल संपत्तियों का शीर्षक विलेख बैलेंस शीट की तारीख में कंपनी के नाम पर रखा गया है।
- (d) कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है
- (e) बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) इन्वेंट्री के संबंध में:

- a) कंपनी ने अभी तक कोई व्यावसायिक गतिविधि शुरू नहीं की है, इसलिए कोई इन्वेंट्री नहीं रखी गई है।
- b) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर वर्ष के किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) (बी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है; और इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) लागू नहीं होता है।

(iv) कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के तहत कवर किए गए पक्षकारों को कोई ऋण या कोई गारंटी या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं। इसके अलावा, कंपनी द्वारा ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ के भीतर जमा माना जाता है, तदनुसार आदेश के खंड 3 (वी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) केन्द्र सरकार ने कंपनी की कतिपय विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण निर्धारित किया है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में उपर्युक्त अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।



इंडियन वैकसीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

(vii) सांविधिक देयराशियों के संबंध में -

- (a) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, आयकर, स्रोतों पर कर कटौती, स्रोत पर कर एकत्र कर, व्यावसायिक कर, वस्तु और सेवा कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट) सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और इस पर लागू अन्य सामग्री सांविधिक बकाया, उपयुक्त अधिकारियों के पास। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2022 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं था जो उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी भी विवादित मामलों के कारण जमा नहीं किया गया है:

मर्जी	फ़ोरम	मांगी गई रकम	राशि का भुगतान किया गया	टिप्पणियां
199 2-93	डीटीवीएसवीएस	84.69 lakhs	69.82 lakhs	वर्ष के दौरान कंपनी ने उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी वापस ले ली है और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना है लेकिन कंपनी ने नियत तारीख के भीतर प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास का फॉर्म 4 दाखिल नहीं किया है। कंपनी ने 22-08-2022 को फॉर्म दाखिल किया है और विभाग से अंतिम आदेश लंबित है।

(viii) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेन-देन का आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है, जिसे पहले खाते की बहियों में दर्ज नहीं किया गया था, तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ix)

- a) कंपनी ने ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या किसी भी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- b) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- c) सावधि ऋण उस उद्देश्य के लिए आवेदन किया गया था जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे
- d) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी धन का उपयोग नहीं किया गया है।

(x)

- a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधन सहित) और सावधि ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं जुटाया गया था।



इंडियन वैकसीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

- b) कंपनी ने लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान शेरों / पूरी तरह से या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (एक्स) (बी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xi)
- a) निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- b) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लागत लेखा परीक्षक/सचिवीय लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।
- c) हमने ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों (यदि कोई हो) को ध्यान में रखा है।
- (xii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3 (xii) (ए), (बी) और (सी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और संबंधित पक्षों के लेनदेन के विवरण को लागू लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiv) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है क्योंकि यह कंपनी पर अधिनियम की धारा 138 के तहत लागू नहीं है।
- (xv) निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है या उससे जुड़े व्यक्ति और इसलिए आदेश के खंड 3 (xv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xvi) हमारी राय में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में कितनी नकद हानि हुई है?
- (xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xix) नोट्स टू अकाउंट्स में प्रकट वित्तीय अनुपातों, वित्तीय आस्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की वृद्धावस्था और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर होने पर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा जब भी वे देय हो जाएंगे।



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

(xx)

- a) अधिनियम की उपधारा 5 के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिदष्ट निधि में कोई अव्ययित राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
- b) चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष खाते में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

(xxi) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में खंड 3(xxii) की अपेक्षा लागू नहीं है।

शिव सरोज एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट

प्रकाश

हिस्सेदार

एम.नं.: 515914

एफआरएन: 019715 एन

यूडीआईएन :

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:



इंडियन वैक्सीनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"

(31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 तक इंडियन वैक्सीनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

ऑडिटर्स की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("गाइडेंस नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।



इंडियन वैकसीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाईन की गई एक प्रक्रिया है आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए बयान। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और काफी प्रतिबिंबित करती हैं; (ii) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (iii) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की परिसंपत्तियों के स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के ओवरराइड के अनुचित प्रबंधन शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो आंतरिक लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर आधारित था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण।

शिव सरोज एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट

प्रकाश

हिस्सेदार

एम.नं.: 515914

एफआरएन: 019715 एन

यूडीआईएन :

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:



इंडियन वैक्सीनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा उन्होंने 09 सितंबर 2022 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से**

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:

**(संजय कुमार झा)
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)**



इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

पंजीकृत कार्यालय : ग्राम नैनवाल, मानेसर तालुक, गुरुग्राम, हरियाणा -122050
31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(हजार रुपये में)

विवरण	टिपपणी	31 मार्च, 2022 को		एएस 31 मार्च, 2021 को	
			राशि (₹.)		राशि (₹.)
(I) इक्विटी और देनदारियां					
शेयरधारकों के फंड					
शेयर कैपिटल	1	187,894		187,894	
आरक्षित और अधिशेष	2	(142,451)	45,443	(105,465)	82,429
गैर-चालू देनदारियां					
दीर्घ अवधि प्रावधान	3	30,528		15,157	
आस्थगित कर देयता		-	30,528	-	15,157
वर्तमान देनदारियां					
अल्पावधि उधार		-		-	
व्यापार देय	4	183		-	
अन्य वर्तमान देनदारियां	5	128	311	289	289
कुल			76,282		97,875
(II) संपत्ति					
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
प्रो, संयंत्र और उपकरण		20,916		20,916	
मूर्त परिसंपत्तियां	6	-		271	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	7	-		11,609	
दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	8	11,609		22,609	
अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति	9	-	32,525	-	55,405
वर्तमान परिसंपत्तियां					
सूची		-		-	
व्यापार प्राप्त्य		-		-	
नकद और नकद समतुल्य	10	25,775		39,462	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	17,982	43,757	3,008	42,470
टीओटीएएल			76,282		97,875
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों पर नोट्स	1 से 28		-		

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

शिव सरोज एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(प्रकाश)
पार्टनर
एम. नं. 515914
एफआरएन 019715 एन

भारतीय वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

संजय कुमार मिश्रा
निदेशक
डीआईएन 09327229

सुधीर जैन
निदेशक
डीआईएन 05205213

जगह:
दिनांक:



इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

पंजीकृत कार्यालय : ग्राम नैनवाल, मानेसर तालुक, गुरुग्राम, हरियाणा -122050
31 मार्च, 2022 के अंतिम वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण

(हजार रुपये में)

विवरण	टिप्पणी	2021-22	2020-2021
परिचालन से राजस्व	-	-	-
अन्य आय	12	3,075	3,481
कुल आय (I+II)		3,075	3,481
व्यय:			
खपत हुई सामग्री की लागत	-	-	-
व्यापार में भंडार की खरीद	-	-	-
माल और प्रक्रिया में काम	-	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13	316	1,107
वित्त लागत	-	-	-
मूल्यहास और परिशोधन एक्सप्रेस	14	-	-
अन्य खर्चे	15	1,494	1,272
कुल खर्च		1,810	2,379
असाधारण और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-IV)		1,265	1,102
अतिरिक्त प्रावधान		-	-
अपवाद मदे	16	(2,841)	(1,083)
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (V-VI)		(1,576)	19
असाधारण मद (पूर्व अवधि व्यय)	17	22,609	390
कर पूर्व लाभ (सातवीं-आठवीं)		(24,185)	(371)
कर व्यय			
वर्तमान कर		-	-
आस्थगित कर		271	-
आयकर पिछले वर्ष		12,530	-
वर्ष के लिए लाभ (IX-X)		(36,986)	(371)
10 रुपये अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर की कमाई	18		
बेसिक और पतला (रुपये में)		(0)	(0)
वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखांकन पीओलिसी के नोट्स	1 से 28		
शिव सरोज एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स		भारतीय वैक्सिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए	
(प्रकाश) पार्टनर एम. नं. 515914 एफ:आर:एन 019715 एन		संजय कुमार मिश्रा निदेशक डीआईएन 09327229	सुधीर जैन निदेशक डीआईएन 05205213
स्थान: नई दिल्ली दिनांकित:			



इंडियन वैक्सिनस कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह वक्तव्य

व्यक्ति	31.03.2022 रुशि (₹.)	31.03.2021 रुशि (₹.)
A. ऑपरेटिंग गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	(36,986)	(371.00)
के लिए समायोजन : मूल्यहास ब्याज खर्च विविध अन्य बड़े खर्चों में इलाज ग्या		
	-	-
	(36,986)	(371.00)
कम : अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ		-
ब्याज आय	(3,075.00)	(3,481.00)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले लाभ	(40,061)	(3,852.00)
के लिए समायोजन:- गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और देयता		
दीर्घकालिक प्रावधान	15,370.58	38.00
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	-	(62.00)
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति	22,609.00	
आस्थगित कर	271.00	
वर्तमान सम्पत्ति और देनदारिया		
अन्य वर्तमान दायित्व	22.00	(498.00)
अल्पकालिक प्रावधान		
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	(14,973.80)	(330.00)
ऑपरेशन से नकदी उत्पादन	(16,762.00)	(4,704.00)
डायरेक्ट टैक्स का भुगतान	-	-
गतिविधियों में ओवरलि से शुद्ध नकदी	(16,762.00)	(4,704.00)

B निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह

भवन की बिक्री

प्राप्त ब्याज और पट्टा किराए से आय

3075

3481

निवेश गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद

3,075.00

3,481.00

C वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह

उधार से दीर्घ अवधि से प्राप्ति

-

-

उधार से दीर्घ अवधि से पुनः भुगतान

-

-

वित्त लागत का भुगतान किया

एफडीसिंग गतिविधियों से शुद्ध नकदी

-

-

नकदी और नकदी में शुद्ध वृद्धि / (कमी) इक्विवैलेन्टों

(13,687.00)

(1,222.00)

वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष

39,462.00

40,684.00

वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष

25,775.00

39,462.00

शिव सरोज एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट

भारतीय वैक्सिनस कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए

(प्रकाश)
हिस्सेदार

एम . नं. 515914
एफआरएन 019715 एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांकित:

संजय कुमार मिश्रा
निर्देशक
डीआईएन 09327229

सुधीर जैन
निर्देशक
डीआईएन 05205213



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणीयां

टिप्पणी 1.

क) नैगम सिंहावलोकन

इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन संख्या यू74900एचआर1989जीओआई030516) का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 27.03.1989 को किया गया था तथा इसका पंजीकृत कार्यालय गांव नैनवाल, दिल्ली – जयपुर राजमार्ग (एनएच8), डाक खाना मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा – 122050 में है। कंपनी को टीका विनिर्माण के उद्देश्य से आरंभ किया गया है, किंतु कंपनी उत्पादन के चरण पर नहीं है।

ख) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

I) वित्तीय विवरणों को बनाने का आधार

इन वित्तीय विवरणों को उन लेखा नीतियों के अनुरूप जो कि सामान्य रूप से भारत में मान्य है (भारतीय जीएएपी.) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप और उन लेखा मानक तथा नियमों के अनुसार बनाया गया है।

इन वित्तीय विवरणों को वास्तविक आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार बनाया गया है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रु. और निकटतम हजार रुपयों के पूर्णांक में बनाया गया है।

II) अनुमानों का प्रयोग

भारत में सामान्य रूप से मान्य लेखा मानक (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को बनाने में अपेक्षित है कि प्रबंधक वर्ग उन राशियों का अनुमान लगाए जो कि परिसंपत्तियों और देनदारियों में बताई गई राशि और विवरणों की तिथि पर संभावित देनदारियों तथा उस अवधि में बताई गई आय और खर्चों के विषय में वांछित है। वास्तविक परिणामों और अनुमानित का अंतर उस समय मान्य होता है जिस समय उनका पता चलता है / परिणत होता है।

III) नकद और नकद समकक्ष

नकद प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए की गई है, जिसके द्वारा असाधारण मदों से पहले लाभ / (हानि) और कर को गैर नकद प्रकार के लेन देन के प्रभाव हेतु समायोजित किया गया है तथा पूर्व या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों का स्थगन और प्रोद्भवन किया गया है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और निधिकरण के कार्यकलापों से नकद प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभाजित किया गया है।

नकद और नकद समकक्ष

नकद में हाथ में नकद, बैंक में शेष और बैंकों के पास जमा मांग निहित है। नकद समकक्ष अल्पावधि शेष (तीन माह की मूल परिपक्वता या अधिग्रहण की तिथि पर कम सहित), उच्च तरल निवेश जो तत्काल नकद की ज्ञात राशि में बदले जा सकते हैं और जो मूल्य में बदलावों के गैर महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

प्रवाह वक्तव्य तैयार करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाता है जैसा लेखा मानक (एएस)-3 में बताया गया है।

iv) अचल परिसंपत्तियां

मूर्त परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास तथा क्षतिगत हानि को उनके मूल्य से घटा कर दिखाया गया है। मूर्त परिसंपत्तियां के मूल्य में उनका क्रय मूल्य तथा अन्य खर्चों को भी शामिल किया गया है जो कि उस सम्पत्ति को उस के वांछित प्रयोग के लिए कार्यरत करने में लगे है।

v) राजस्व की मान्यता

किराए से होने वाली आय को किराए अनुबंध की शर्तों के अनुसार वास्तविक रूप से मान्यता दी जाती है। ब्याज आय को समय अनुपातिक आधार पर बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखकर मान्य किया जाता है।



क्योंकि कम्पनी में केवल 2 कर्मचारी हैं इसलिए कर्मचारियों को देय लाभों का बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

VI) वर्तमान व आस्थगित कर प्रावधान

कर व्यय वर्तमान व आस्थगित कर का समाविष्ट है। लागू कर दरों के अनुरूप कर अधिकारियों को देय वर्तमान कर का परिमाण लगाया जाता है। आस्थगित आयकर समयभेद के कारण वर्तमान कर योग्य आय और लेखा आय व पिछले वर्षों / अवधि में समयभेद के कारण हुए भेद को दर्शाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को उतनी ही मान्यता दी जाती है जितना कि उचित आश्वासन हो कि आगामी आय इतनी होगी जिस के सम्मुख वसूली संभव हो। अपवाद रूप में आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस समय मान्यता दी जाती है जब कि बीमा अवशोषित मूल्यहास और हानि हो तथा इतना निश्चित रूप से पता हो कि भविष्य में इतनी कर योग्य आय होगी जिस के सम्मुख इसकी वसूली हो सकेगी।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताएं का परिमाण उन कर दरों और कर कानून के आधार पर किया जाता है जो कि तुलन पत्र की तिथि तक बन चुके हों।

VII) प्रति शेयर आय

मूल्य आय प्रति शेयर का प्रकटीकरण तुलन पत्र में किया जाता है। वर्ष के अंत में बकाया औसत आम शेयरों के आधार पर प्रति शेयर आय की सगणना और प्रकटीकरण किया जाता है। प्रति शेयर पर तनुकरणीय आय की सगणना और प्रकटीकरण वर्ष के अन्त में बकाया आम औसत शेयरों व तनुकृत आम शेयरों के आधार पर किया जाता है सिवाय उस अवस्था के जब कि परिणाम तनुकरण के विरुद्ध हो।

VIII) संभावित देयताएं और संभावित परिसम्पत्तियाँ प्रावधान

लेखा में प्रावधान उस समय मान्य होता है जब वर्तमान में पिछली घटनाओं के कारण देयता हो और ऐसा स्पष्ट हो कि देयता के निपटारे के लिए साधनों का बाह्यवाह होगा तथा एक विश्वसनीय अंदाज लगाया जा सकता हो। प्रावधानों का वर्तमान मूल्यों तक तनुकरण नहीं किया जाता है तथा प्रतिवेदन तिथि के समय देयता का भुगतान करने के लिए अधिकतम आकलन के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इन प्रावधानों का प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर पुनः निरीक्षण किया जाता है तथा वर्तमान में अधिकतम आकलन के आधार पर समावेश किया जाता है।

संभाव्य देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है यदि साधनों के बाह्यवाह की संभावना अल्प नहीं हो तो।

वित्तीय विवरणों में संभाव्य परिसम्पत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।



इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिपण्णीयां

हजार रूपए में

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार,
1 शेयर पूंजी		
प्राधिकृत शेयर पूंजी:		
5,00,00,000 (पी.वाई.5,00,00,000)	500,000	500,000
इक्विटी शेयर रु. 10/- प्रत्येक	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>
सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप:		
1,87,89,382 इक्विटी शेयर (पीवाई 1,87,89,382) रुपये 10/- प्रत्येक पूरी तरह से नकद में चुकता	187,894	187,894
कुल	<u>187,894</u>	<u>187,894</u>

इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयताएं और प्रतिबंध:

कंपनी के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसे इक्विटी शेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है, 10 रूपए इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश (यदि कोई हो) आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी तत्काली राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों में से किसी को भी प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

शेयरहोल्डर का नाम	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	नहीं शेयरों की	% आयोजित	नहीं शेयरों की संख्या	% आयोजित
1 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	12,526,256	66.67	12,526,256	66.67
2 रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	6,263,126	33.33	6,263,126	33.33

1.2 बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य नीचे निर्धारित किया गया है:

व्यक्तियों	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर	18,789,382	18,789,382
जोड़ें: वर्ष के दौरान शेयर जुड़े	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	<u>18,789,382</u>	<u>18,789,382</u>



इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिपणीयां

1.3 प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं. नहीं.	शेयरधारक का नाम	साल की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग		साल के अंत में शेयर होल्डिंग		% परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
1	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	12,526,256	66.67	12,526,256	66.67	शून्य
2	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	6,263,126	33.33	6,263,126	33.33	शून्य
	कुल	18,789,382	100.00	18,789,382	100.00	शून्य

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
-------	-------------------	-------------------

2 आरक्षित और अधिशेष

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित		
अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार	19,070	19,070
जोड़ें: शेयरों के निर्गम पर	-	-
	<u>19,070</u>	<u>19,070</u>
लाभ और हानि खाता		
अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार	(124,535)	(124,164)
जोड़ें: लाभ और हानि खाते से स्थानांतरित	(36,986)	(371)
	<u>(161,521)</u>	<u>(124,535)</u>
कुल	<u>(142,451)</u>	<u>(105,465)</u>

नोट 2.1

मैसर्स पातुर मेरियूक्स सीरम एंड वैक्सिन्स, फ्रांस से 190.70 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण प्राप्त हुआ। इसके दावे को माफ करने के लिए दिनांक 04-12-1998 को एक पुष्टि प्राप्त हुई थी और इसे वर्ष 2006-07 में वापस बट्टे खाते में डाल दिया गया था और पूंजी आरक्षित खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
-------	-------------------	-------------------

3 दीर्घकालिक प्रावधान

आरएलएसपीएल द्वारा उठाई गई मांग के लिए प्रावधान	14,681	11,840
इनकम टैक्स के लिए प्रावधान	-	3,316
कुल	<u>30,528</u>	<u>15,156</u>

पुराने आयकर रिफंड के लिए किए गए आयकर प्रावधानों को मांग के खिलाफ समायोजित किया गया है, जिसके लिए सुधार लंबित है।



इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिपणीयां

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
4 व्यापार देय					
1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (सी.वाई.) पी एंड 2020-21			-		-
2 दूसरी पी एंड 2020-21	183				183
3 विवादित बकाया - एमएसएमई (सी.वाई.) पी एंड 2020-21					-
4 विवादित बकाया - अन्य (सी.वाई.) पी एंड 2020-21					
कुल (सी व्हाई 2022-22)	183	0	0	0	183
(पी व्हाई 2021-21)	0	0	0	0	0

4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली अपेक्षित यह जानकारी उस सीमा तक निर्धारित की गई है, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी है जिसके आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
5 अन्य वर्तमान देनदारियां		
देय व्यय	58	223
टीडीएस देय	5	1
प्रतिभूति जमा	65	65
कुल	<u>128</u>	<u>289</u>

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
-------	-------------------	-------------------

7 आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)

आस्थगित कर देयता		
नियत देनदारियों से संबंधित	-	-
अचल संपत्तियों से संबंधित	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रेच्युटी		188
अवकाश नकदीकरण		83
कुल	<u>-</u>	<u>271</u>



इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2022 तक अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

एस. न.	भूत परिसंपत्तियों का विवरण	कुल लागत 01/04/2021 तक	जी आर ओ एस एस वी एल ओ सी के				डी ई पी आर ई सी आई ए टी आई ओ एन				एन ई टी वी एल ओ सी के	
			योग वर्ष के दौरान	हटाने वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन (सेनक्टेड क्रेडिट)	कुल 31.03.2022 तक	31.03.2021 तक	डी.पी. वर्ष के दौरान	निगमन	कुल 31.03.2022 तक	इन्व्यू.डी.जी. 31.03.2022 तक	राशि 31.03.2021 तक
1.	फ्रीहोल्ड लैंड	20,910				20,910	-			-	20,910	20,910
2.	बिल्डिंग					-	-			-	-	-
3.	कार्यालय उपकरण	56				56	53			53	3	3
4.	संगणक	74				74	71			71	3	3
	कुल (₹)	21,040	-	-	-	21,040	124	-	-	124	20,916	20,916



इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिपणीयां

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
8 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (असुरक्षित और अच्चा माना जाता है)		
सुरक्षा अपदस्थ	3	3
कर जमा (विरोध के तहत)	6,982	6,982
पिछले वर्षों के लिए देय आवक रिफंड	4,624	4,624
कुल	11,609	11,609

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
9 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां		
पट्टा किराया वसूली योग्य	-	22,609
कुल	-	22,609

मैसर्स रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई। मैसर्स आरएलएस के साथ पट्टा करार को रद्द करने से पट्टा किराए के भुगतान और दोनों पक्षों के अन्य दावों के बारे में पट्टेदार और पट्टेदार के बीच कतिपय विवाद उत्पन्न हुए हैं। मैसर्स आरएलएस ने पट्टा करार की समाप्ति से उत्पन्न विवादों के निपटान के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 01.05.2014 को श्री एम. आईवीसीओएल और मैसर्स आरएलएस के विवादों और दावों के निपटान के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में मुकुल मुहला दावेदार ने बचाव और जवाबी दावों का अपना बयान दायर किया था। प्रतिवादी ने 23 फरवरी, 2016 को 30.69 लाख रुपये का अतिरिक्त दावा दायर किया है, जो निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विभाग द्वारा काटी गई टीडीएस राशि के रूप में उठाया गया है। से पट्टा किराया उत्तरदाता को सूचना के बिना वापस ले लिया गया था। एकमात्र मध्यस्थ ने 19.04.2017 को आदेश दिया है कि वह आरएलएसपीएल को निर्धारित तिथि से 6 सप्ताह के भीतर 97,60,129 रुपये का भुगतान करे, जिसमें विफल रहने पर कंपनी उत्तरदायी होगी धारा 31 (7) (बी) के अनुसार अर्वाइ की तारीख को प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से 2% अधिक ब्याज दर पर उक्त राशि का भुगतान करें पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 की प्रति वर्ष पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक। 1,18,40,200 रुपये के भुगतान के बाद 1,18,40,200 रुपये का प्रावधान। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 04-02-2020 को आरएलएसपीएल को 22,00,000 रुपये दिए गए (शेष राशि की तारीख तक अर्वाइ में निर्दिष्ट ब्याज सहित शीट) आरएलएसपीएल को देय का लेखा-जोखा बहियों में दिया गया है। एकमात्र मध्यस्थ के आदेश के खिलाफ दावेदार ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत माननीय दिल्ली के समक्ष याचिका दायर की है उच्च न्यायालय ने 18.08.2017 को 3,32,84,812 रुपये की राशि के लिए। आईवीसीओएल ने 31.01.2022 को एक आवेदन दायर कर 19.04.2017 के मध्यस्थ निर्णय पर रोक लगाने की मांग की थी, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.02.2022 को स्थगन आदेश पारित किया था। जिस 19.04.2017 के अर्वाइ पर 4 सप्ताह के भीतर अर्वाइ राशि जमा करने के अधीन रोक लगा दी गई है। आईवीसीओएल ने 4 सप्ताह के भीतर (यानी 21-02-2022 से 16-03-2022 तक) 1,46,81,391 रुपये (04.03.2021 तक ब्याज के साथ) की राशि जमा की थी। इसके अलावा 2,26,09,370/- रुपये का किराया वसूली योग्य नहीं है, इसलिए खातों की पुस्तकों से बट्टे खाते में डाल दिया गया है।



इंडियन वैक्सिनस कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिपण्णीयां

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
10 नकद और नकद समतुल्य		
बैंकों के पास वर्तमान खाते में शेष राशि		
भारतीय स्टेट बैंक	241	284
बैंक में जमा	25,300	38,800
हाथ पर नकद	2	4
अन्य ब्याज अर्जित	<u>232</u>	<u>374</u>
कुल	<u>25,775</u>	<u>39,462</u>

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
11 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है)		
1 स्रोत पर कर कटौती -		
आयकर रिफंड (पिछले वर्षों के लिए जिसके लिए रिफंड है		
i) आयकर विभाग से प्रतीक्षित)	1,223	1,223
ii) पट्टे के किराए से	1,040	921
iii) बैंक जमा पर ब्याज से	798	610
2 जीएसटी इनपुट	237	254
3 रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जमा	14,681	-
4 आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	<u>3</u>	<u>-</u>
कुल	<u>17,982</u>	<u>3,008</u>

11.1 आईवीसीओएल ने 31.01.2022 को एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दिनांक 19.4.2017 के मध्यस्थ निर्णय पर रोक लगाने की मांग की गई थी, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.02.2022 को स्थगन आदेश पारित किया था, जिसके तहत अर्वादि दिनांकित 19.04.2017 को 4 सप्ताह के भीतर प्रदान की गई राशि जमा करने के अधीन रोक लगा दी गई है। आईवीसीओएल ने 14681391/- रुपये जमा किए दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित मुकदमा इसलिए राशि जमा के रूप में दिखाई गई। हमने 14681391/ रुपये का प्रावधान भी सृजित किया है।



इंडियन वैक्सिनस कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिपणीयां

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
12 अन्य आय ब्याज		
बैंक डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज	1,884	2,290
	<u>1,884</u>	<u>2,290</u>
अन्य गैर-परिचालन आय		
एनबीआरसी से कारखाने की भूमि से पट्टे की आय	1,191	1,191
	<u>1,191</u>	<u>1,191</u>
कुल	<u><u>3,075</u></u>	<u><u>3,481</u></u>

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
13 कर्मचारियों को लाभ का खर्च		
वेतन	316	1,080
स्टाफ वेलफेयर	-	27
कुल	<u><u>316</u></u>	<u><u>1,107</u></u>

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
14 मूल्यहास और परिशोधन व्यय		
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>



इंडियन वैक्सिनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिपणीयां

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
15 अन्य खर्चे		
मरम्मत और रखरखाव (कार्यालय)	-	10.00
हाउसकीपिंग का खर्च	232	234
दरं और टैक्स	1	1
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	274	88
कन्वेंस चार्जेंज	36	82
लेखा परीक्षक को भुगतान	25	25
विविध व्यय	9	6
टेलीफोन का खर्च	5	5
मुद्रण और लेखन सामग्री	33	17
बिजली का खर्च	100	92
सुरक्षा सेवा (साइट)	756	711
बैंक शुल्क	1	1
साइट का दौरा	9	-
टीडीएस की पेनल्टी	8	-
खाद्य और पेय पदार्थ	5	-
	<u>1,494</u>	<u>1,272</u>

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
15.1 लेखा परीक्षकों को भुगतान के रूप में:		
ऑडिट शुल्क	25	25
कराधान और अन्य	-	-
	<u>25</u>	<u>25</u>
16 असाधारण आइटम		
आरएलएसपीएल द्वारा उठाई गई मांग के लिए प्रावधान	2,841	1,083
	<u>2,841</u>	<u>1,083</u>
17 असाधारण आइटम		
पूर्व अवधि व्यय	22,609	390
(पट्टा किराया वसूली योग्य डब्ल्यू / ओ)	-	-
	<u>22,609</u>	<u>390</u>

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
18 प्रति शेयर आय (ईपीएस)		
i) पी एंड एल के विवरण के अनुसार कर पश्चात शुद्ध लाभ	(36,986)	(371)
(ii) इन्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	18,789,382	18,789,382
(iii) बुनियादी और पतला ईपीएस	(0)	(0)
(iv) प्रति इन्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10



इंडियन वैक्सीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिपणीयां

19 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अनुपात:

अनुपात	अंग	हर	2021-22	2020-21	% परिवर्तन	इसके लिए कारण फेरबदल	
1	वर्तमान अनुपात	कुल मौजूदा परिसंपत्तियां	कुल मौजूदा देनदारियां	140.7	147.0	-4.26%	
2	ऋण - इक्विटी अनुपात	कुल उधारी	कुल इक्विटी	0.00	0.00	0.00%	
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए कमाई = करों से पहले शुद्ध लाभ + गैर-मूल्यहास और अन्य परिसोधन जैसे परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य समावोजन जैसे अचल परिसंपत्तियों की विक्री पर हानि आदि।	ऋण सेवा = डिबेंचर पर ब्याज, अवधि ऋण और बैंक और अन्य + लंबे समय तक मूल चुकोती-टर्म बॉरोइंग को छोड़कर प्रीपेमेंट	पर	पर	पर	
4	रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई)	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	-0.35	0.00	11657.70%	पिछले वर्ष और चालू वर्ष के बीच का अंतर
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	बेचे गए अच्छे की लागत	औसत इन्वेंट्री	पर	पर	0.00%	अनुपात "पट्टा किराया वसूली योग्य" में परिवर्तन के कारण उपचार। पिछले वर्ष में यह परिसंपत्ति पक्ष में दिखाया गया है। वर्तमान वर्ष में इसे एक असाधारण आइटम-प्रायर के रूप में लाभ और हानि खाते में अविधि आइटम, इसलिए वहाँ है अनुपात गणना में भारी अंतर।
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध विक्री	औसत व्यापार प्राप्य	पर	पर	0.00%	
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध खरीद	औसत व्यापार देय	पर	पर	0.00%	
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध विक्री	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां - कुल मौजूदा देनदारियां	पर	पर	0.00%	
9	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध विक्री	0	0	0.00%	
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)	ब्याज और टैक्स से पहले कमाई	नियोजित पूंजी = कुल इक्विटी + कुल उधार-अन्य अमूर्त संपत्ति - सद्भावना	-0.53	0.00	11724.35%	
11	निवेश पर रिटर्न	निवेश से होने वाली आमदनी	औसत निवेश	पर	पर	पर	पिछले वर्ष और चालू वर्ष के अनुपात के बीच का अंतर "पट्टा किराया वसूली योग्य" में परिवर्तन के उपचार। पिछले वर्ष में यह परिसंपत्ति पक्ष में दिखाया गया है। वर्तमान वर्ष में इसे एक असाधारण आइटम-प्रायर के रूप में लाभ और हानि खाते में अविधि आइटम, इसलिए वहाँ है अनुपात गणना में भारी अंतर।

20 अन्य वैधानिक जानकारी:

- कंपनी का बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में कारोबार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी का ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं है जिसे कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकट किया गया है आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत।
- कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहाँ किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।
- कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।
- कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्थाओं (आईईएस) को इस समझ के साथ धन राशि का अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ करेगा:
 - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करना या निवेश करना या
 - अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें।
- कंपनी को किसी भी व्यक्ति (ओं) या संस्थाओं (आईईएस) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्थाएं (फंडिंग पार्टी) शामिल हैं (चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हों या अन्यथा) कि कंपनी करेगी:
 - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करना या निवेश करना या
 - अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट पट्टे की संपत्तियों सहित अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख/कानूनी स्वामित्व कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।



इंडियन वैक्सीनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन U74900HR1989GOI030516

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिपण्णीयां

- 21 उत्पाद शुल्क और सेवा कर और जीएसटी के लिए विक्री कर देनदारियों और देनदारियों को विक्री कर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग के साथ दाखिल रिटर्न के अनुसार प्रदान किया गया है और जीएसटी विभाग क्रमशः। मूल्यवहन पर उत्पन्न होने वाली अनिश्चित देयता, यदि कोई हो, उस समय प्रदान की जाएगी।
- 22 इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड -18 द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्ष प्रकटीकरण।

A सहयोगी **संबंध**
1 मैसर्स नेशनल ग्रेन रिसर्च सेंटर एग्रेसिवेट्स जैव प्रौद्योगिकी विभाग के

संबंधित पार्टी के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन लेन-देन की प्रकृति (प्रतिपूर्ति को छोड़कर)	एग्रेसिवेट्स	केएम	कल
1. पट्टा किराया (सकल)	1,191	-	1,191

B प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- 1 संजय कुमार मिश्रा निदेशक
2 सुधीर जैन निदेशक
3 श्रीवल्लभ गोयल निदेशक
4 पंकज कुमार निदेशक
5 अलका शर्मा निदेशक

23 कंपनी ने कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 और 8ए के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) और 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और लेखा परीक्षा समिति के गठन के लिए कंपनी ने दो स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के लिए भारत सरकार (डीबीटी) के साथ भी मामला उठाया है।

24 आकस्मिक देनदारियां

(रु. हजार में)

विवरण		प्रोवी के अंत में फार्गुरेस रिपोर्टिंग अवधि
आकस्मिक देनदारियां		
निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए आयकर की मांग, जिसमें उच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ आदेश पारित किया और सुप्रीम कोर्ट में कंपनी की एपेलपी को स्वीकार कर लिया गया है।	0	8,469
कुल	0	8,469

कंपनी ने इसके लिए प्रावधान किया है, इसलिए सन्निहित देनदारियों में नहीं दिखाया गया है

25 कंपनी ने घाटा जमा कर लिया है और इसका नेटवर्थ आंशिक रूप से कम हो गया है, कंपनी को शुद्ध घाटा / चालू और पिछले वर्षों के दौरान नकद हानि। वर्ष 2008-09 में कंपनी ने वैक्सीन परियोजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। साइट का कुछ हिस्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी) को 11.91 लाख रुपये प्रति वार्षिक की राशि के लिए पट्टे पर दिया गया था।

चूंकि परियोजना कभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए केवल संवत् और मशीनरी और अन्य वस्तुओं के निपटान से चिंता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी लेखा-बहियों को चिंता का विषय बनाए रख रही है। कंपनी ने लंबे समय से अचल परिसंपत्तियों के पट्टे के आय रूप पट्टे को प्राप्त किया।

चित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने विनिवेश के लिए नीति आयोग को भेजा है। नीति आयोग ने अपने कार्यालय जापान के तहत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के विनिवेश की सिफारिश की है। संख्या 13 (10)/2018-आई एंड बी (आई) दिनांक 29.01.2018।

नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के लिए एक मसौदा नोट 04.07.2019 को टिप्पणियों/विचारों के लिए मंत्रालयों/विभागों और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच परिचालित किया गया था।

हालांकि, अब कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बायो-फार्मा उत्पाद को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर विचार करते हुए, विभाग में इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह प्रस्तावित किया गया है कि कंपनी के उद्देश्यों और जनादेश को उपयुक्त संशोधन के लिए विचार किया जा सकता है अन्य टीकों के उत्पादन को शामिल करना क्योंकि यह प्राथमिक जिम्मेदारी है। कोविड टीकों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता और अन्य बीमारियों के लिए टीके के आगे उत्पादन को देखते हुए, विभाग अब कंपनी के पुनरुद्धार और जैव-विनिर्माण हब की स्थापना पर विचार कर रहा है जो टीकों और जैविक जैसे प्रमुख जैव-फार्मा उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को बंद करने के लिए सीसीईए नोट को वापस लेने के लिए प्रस्ताव माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था।

26 प्रबंधन की राय में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम लगभग उस मूल्य के होते हैं जो व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में महसूस किए जाने पर बताए जाते हैं। सभी ज्ञात के लिए प्रावधान देनदारियां पर्याप्त हैं और यथोचित रूप से आवश्यक समझी जाने वाली राशि से अधिक नहीं हैं।

27 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः वर्गीकृत या पुन व्यवस्थित किया गया है।

28 नोट 1 से 28 को 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट के एक अभिन्न अंग के रूप में संलग्न किया गया है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण दिया गया है।

शिव सरोज एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भारतीय वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

(प्रकार)
पार्टनर
एम. नं. 515914
05205213
एफआरएन 019715 एन

संजय कुमार मिश्रा
निदेशक
डीआईएन 09327229
सुधीर जैन
निदेशक
डीआईएन